न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 77/2019

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
1 लाधुदेवी पुत्री खेमाराम पत्नी नैनाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 खेमाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री भोमाराम सियाग वकील वादीनी।
2. श्री हरीराम चौधरी वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 02/07/19

संक्षिप्त में वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 देदाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीनी, प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्री होने से विधिक वारिस है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 770/546 रकबा 25.02 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि देदाराम की खातेदारी की थी। देदाराम के देहान्त पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 खेमाराम के नाम दर्ज हुई। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 खेमाराम की विधिक वारिस है। प्रतिवादी संख्या 01 खेमाराम को अपने पिता देदाराम की फौतगी के विरासत के नामान्तकरण से प्राप्त हुई उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि में वादीनी का जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/2-1/2 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीनी अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता देदाराम की मृत्यु पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 खेमाराम के नाम दर्ज हो गई। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 पुत्री-पिता होने के कारण पैतृक भूमि में वादीनी का भी 1/2 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीनी को उक्त भूमि में सहखातेदार घोषित कर 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीनी द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादीनी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीनी का जन्म से

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

F:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

Scanned by CamScanner

हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं 2070 से 2073 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि मे वादीनी का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीनी अपना हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 770/546 रकबा 25.02 बीघा भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 02/07/18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
1 लाधुदेवी पुत्री खेमाराम पत्नी नैनाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 खेमाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 77 / 2019
निर्णय दिनांक :– 02/07/19.

वकील वादीनी एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02/07/19 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 770 / 546 रकबा 25.02 बीघा भूमि मे वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1 / 2–1 / 2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 02/07/19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

Scanned by CamScanner